

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2849
दिनांक 12 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

यूनिफॉर्म प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल

2849. डॉ. एम. पी. अब्दुस्समद समदानी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय विद्युत समिति (एनपीसी) द्वारा तैयार किए गए यूनिफॉर्म प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल (यूपीपी) के मुख्य उद्देश्यों और कार्यान्वयन की समय-सीमा सहित ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट और वर्ष 2047 तक 2100 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा को राष्ट्रीय ग्रिड में एकीकृत करने के लक्ष्य के दृष्टिगत ग्रिड स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यूपीपी में क्या विशिष्ट उपाय बताए गए हैं; और

(ग) देशभर में फाइव-मिनट इंटरफेस एनर्जी मीटर के प्रवर्तन और उन्नत मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (एएमआर) प्रणाली के परिनियोजन की वर्तमान स्थिति और समय-सीमा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : राष्ट्रीय विद्युत समिति (एनपीसी) द्वारा तैयार यूनिफॉर्म प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल (यूपीपी) को दिनांक 14.11.2024 को आयोजित एनपीसी की 15वीं बैठक में अनुमोदित किया गया। यूपीपी के मुख्य उद्देश्यों में असामान्य परिचालन स्थितियों से उपकरण/प्रणाली की सुरक्षा के लिए सुरक्षा प्रणाली का उचित समन्वय करना, दोषपूर्ण उपकरणों को अलग करना और सुरक्षा प्रणाली के अनपेक्षित प्रचालन से बचना शामिल है।

यूपीपी सभी क्षेत्रीय संस्थाओं, राज्य/केंद्र/निजी उत्पादन कंपनियों/उत्पादन स्टेशनों, राज्य लोड डिस्पैच केंद्रों (एसएलडीसी), क्षेत्रीय लोड डिस्पैच केंद्रों (आरएलडीसी), केंद्रीय पारेषण यूटिलिटी (सीटीयू), राज्य पारेषण यूटिलिटी (एसटीयू), पारेषण लाइसेंसधारियों और क्षेत्रीय विद्युत समितियों (आरपीसी) पर लागू है, जो 220 केवी (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 132 केवी) और उससे अधिक पर जुड़े हैं।

15वीं एनपीसी बैठक के विचार-विमर्श के दौरान, सभी आरपीसी ने सूचित किया कि उन्होंने पहले ही यूनिफॉर्म प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल को अपना लिया है और इसे लागू किया जा रहा है।

(ख) : यूनिफॉर्म प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल तापविद्युत और जलविद्युत उत्पादक इकाइयों, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन (आरईजी), बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस), सबस्टेशन, पारेषण लाइनों और एचवीडीसी टर्मिनलों के लिए सुरक्षा आवश्यकताओं का समाधान देता है और सुरक्षा प्रणाली की सामान्य रूपरेखा की भी परिकल्पना

करता है जिसमें उद्देश्य, डिजाइन मानदंड दोष समाशोधन समय, विश्वसनीयता, संवेदनशीलता और अन्य विवरण शामिल हैं, जिन्हें समान रूप से लागू किया जाएगा और वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट और वर्ष 2047 तक 2100 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा को राष्ट्रीय ग्रिड में एकीकृत करने के लक्ष्य को देखते हुए ग्रिड स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।

(ग) : अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) के लिए स्वचालित मीटर रीडिंग (एएमआर) और मीटर डेटा प्रोसेसिंग (एमडीपी) के साथ पांच मिनट इंटरफेस एनर्जी मीटर (आईईएम) की तकनीकी विनिर्देश (टीएस) को पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका है। आईएसटीएस (अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली) स्तर पर एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम के साथ पांच मिनट आईईएम लगाए जाने संबंधी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
